Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 717 / M-1 दिनांक, गाजियाबाद 30 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
मकान नं0–518, नीति खण्ड–1,
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

विषयः जनपद गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि एवं 1.035 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि कुल 15.053 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 10931 वृक्ष/पोल्स (2760 वृक्ष एवं 8171 पोल्स) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/02/2017/एफ0सी0/220, दिनांक 21.08.2017 तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0–538/गा0बाद/10947/2015, दिनांक 24.08.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि एवं 1.035 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि कुल 15.053 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 10931 वृक्ष/पोल्स (2760 वृक्ष एवं 8171 पोल्स/पौधे) के पातन की अनुमति उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित निम्नानुसार बिन्दुओं की धनराशि यूजर एजेन्सी को ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा कराई गई धनराशि की पुष्टि का विवरण एवं अनुपालन इस कार्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें:–

बिन्दु सं0–1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात 30.108 (15.053X2=30.108) हेक्टेयर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो के रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन के पत्रांक–1062/14–1, दिनांक 05.12.2016 से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू0 65,96,000/– जमा की जायेगी।

बिन्दु सं0–2 (क) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 15.053 हेक्टेयर हेतु रू0 8,03,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से रू0 1,20,87,559/– की धनराशि एन0पी0वी0 मद में जमा करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0–2 (ख) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। इस कार्यालय को प्रेषित करें।

बिन्दु सं0–2 (ग) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षत स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

बिन्दु सं0–3 के अनुसार विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भ द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। प्रयोक्ता अभिकरण को इस शर्त की वचनबद्ध सम्बन्धी प्रमाण–पत्र देना होगा।

बिन्दु सं0–4 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन भोपाल द्वारा प्रार्थना–पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2016 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा। सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

बिन्दु सं0–5 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

बिन्दु सं0–6 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 717 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद